



जनपद गाजियाबाद प्रेस नोट दिनांक 02.08.2021

थाना मसूरी पुलिस द्वारा गैंगस्टर में वांछित चार अभियुक्तगण गिरफ्तार

कार्यवाही:- श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री अमित कुमार पाठक द्वारा अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री ईरज राजा के कुशल निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी सदर श्री कमलेश नारायण पाण्डेय के पर्यवेक्षण में दि० 01.08.2021 को प्रभारी निरीक्षक शैलेन्द्र प्रताप सिंह थाना मसूरी गा०बाद व उनकी टीम को उस समय सफलता मिली जब मुखबिर की सूचना पर उ०नि० सोनू कुमार चौकी प्रभारी नाहल व उनकी टीम द्वारा मु०अ०स०-656/21 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट चालानी थाना मसूरी गा०बाद के वांछित चल रहे 04 नफर अभियुक्तगण (1) फिरोज पुत्र इलियास (2) साकिर उर्फ साकर पुत्र बाकर (3) मौहम्मद अली पुत्र अकरम (4) रवि कुमार पुत्र शिवकुमार निवासीगण- ग्राम नाहल थाना मसूरी को मुखबिर की सूचना पर समय लगभग 23.10 बजे गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- अभियुक्तगण (1) फिरोज (2) साकिर उर्फ साकर (3) मौहम्मद अली (4) रवि कुमार उपरोक्त एक सक्रिय गैंग के सदस्य है। यह अवैध असलाह के बल पर नकबजनी व चोरी जैसे अपराध कारित करके क्षेत्र में भय व आतंक व्याप्त करते है तथा अपने व अपने परिवार के लिये आर्थिक एवं भौतिक लाभ अर्जित करते है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण -

- (1) फिरोज पुत्र इलियास उम्र- 24 वर्ष निवासी ग्राम नाहल थाना मसूरी गाजियाबाद।
- (2) साकिर उर्फ साकर पुत्र बाकर उम्र-27 वर्ष निवासी ग्राम नाहल थाना मसूरी गाजियाबाद।
- (3) मौहम्मद अली पुत्र अकरम उम्र-22 वर्ष निवासी ग्राम नाहल थाना मसूरी गाजियाबाद।
- (4) रवि कुमार पुत्र शिवकुमार उम्र-23 वर्ष निवासी ग्राम नाहल थाना मसूरी गाजियाबाद।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त-फिरोज

- (1) मु०अ०स०-721/18 धारा-398/401 भादवि थाना धौलाना हापुड
- (2) मु०अ०स०-724/18 धारा-4/25 ए एक्ट थाना धौलाना हापुड
- (3) मु०अ०स० 409/21 धारा 380 भादवि थाना मसूरी गाजियाबाद
- (4) मु०अ०स०-410/21 धारा 457/380 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद
- (5) मु०अ०स० 656/21 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना मसूरी

आपराधिक इतिहास अभियुक्त -साकिर उर्फ साकर

- (1) मु०अ०स० 409/21 धारा 380 भादवि थाना मसूरी गाजियाबाद
- (2) मु०अ०स०-410/21 धारा 457/380 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद
- (3) मु०अ०स० 656/21 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना मसूरी

आपराधिक इतिहास अभियुक्त -मौहम्मद अली

- (1) मु०अ०स० 409/21 धारा 380 भादवि थाना मसूरी गाजियाबाद
- (2) मु०अ०स०-410/21 धारा 457/380 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद
- (3) मु०अ०स० 656/21 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना मसूरी

आपराधिक इतिहास अभियुक्त -रवि कुमार

- (1) मु०अ०स० 409/21 धारा 380 भादवि थाना मसूरी गाजियाबाद
- (2) मु०अ०स०-410/21 धारा 457/380 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद
- (3) मु०अ०स० 656/21 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना मसूरी



सट्टे की खाई-बाडी करते हुए 1 नफर अभियुक्त मय पर्चा सट्टा व 1710/- रुपये माल सहित गिरफ्तार।

कार्यवाही - श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री अमित कुमार पाठक द्वारा अपराधियों की गिरफ्तारी व अपराध की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री ईरज राजा के कुशल निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी सदर श्री कमलेश नारायण पाण्डेय के पर्यवेक्षण में दि० 02.08.2021 को प्रभारी निरीक्षक शैलेन्द्र प्रताप सिंह थाना मसूरी गा०बाद व उनकी टीम को उस समय सफलता मिली जब मुखबिर की सूचना पर उ०नि० श्री रमेश चन्द गौतम व उनकी टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त आरिफ पुत्र यूसुफ निवासी बिलाल मस्जिद के पास कस्बा व थाना मसूरी गाजियाबाद को बिलाल मस्जिद के पास कस्बा मसूरी से सट्टे की खाई-बाडी करते हुये समय करीब 10.45 बजे सट्टा पर्चा व 1710/- रुपये माल सहित गिरफ्तार किया गया।

अपराध करने का तरीका - अभियुक्त द्वारा कस्बा मसूरी में बिलाल मस्जिद के पास सट्टे की खाई-बाडी कर रहा था जिसे मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक 02.08.21 को समय करीब 10.45 बजे सट्टे की खाई-बाडी करते हुए कुल 1710/- रुपये मय सट्टा पर्चा सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना मसूरी पर मु०अ०सं० 697/21 धारा 13 जुआ अधि० पंजीकृत किया गया।

नाम पता अभियुक्त गण-

(1) आरिफ पुत्र यूसुफ निवासी बिलाल मस्जिद के पास कस्बा व थाना मसूरी गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण:-

1. सट्टा पर्चा मय 1710 /- रुपये

पंजीकृत अभियोग-

1. मु०अ०सं० 697/21 धारा 13 जुआ अधि० थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद

थाना विजयनगर पुलिस द्वारा 900 ग्राम अवैध गांजा मय एक अदद चाकू के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अमित पाठक के आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के कुशल पर्यवेक्षण एवं निर्देशन में तथा प्रभारी निरीक्षक विजयनगर के कुशल नेतृत्व में थाना विजय नगर पुलिस को शांतिर मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान उस समय महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई जब थाना विजयनगर की पुलिस पार्टी द्वारा दिनांक 01.08.2021 को चैकिंग के दौरान एक शांतिर अपराधी सलमान को 900 ग्राम अवैध गांजा मय 01 अदद चाकू के साथ संतोष मैडिकल सर्विस रोड पर थाना क्षेत्र विजयनगर से गिरफ्तार किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त*

1- सलमान पुत्र यामीन, नि० म०नं० 1, वीर अब्दुल हमीद कालोनी, थाना विजयनगर, गा.बाद

पंजीकृत अभियोग का विवरण

1- मु.अ.स. 1055/21 धारा 8/20 NDPS Act. थाना विजय नगर गाजियाबाद

2- मु.अ.स. 1056/21 धारा 4/25 A. Act. थाना विजय नगर गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण*

1. 900 ग्राम अवैध गांजा

2. एक अदद चाकू



थाना विजयनगर पुलिस द्वारा 40 पव्वे देशी शराब हरियाणा मार्का मय एक अदद चाकू के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अमित पाठक के आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के कुशल पर्यवेक्षण एवं निर्देशन में तथा प्रभारी निरीक्षक विजयनगर के कुशल नेतृत्व में थाना विजय नगर पुलिस को शातिर मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान उस समय महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई जब थाना विजयनगर की पुलिस पार्टी द्वारा दिनांक 02.08.21 को चैकिंग के दौरान एक शातिर अपराधी निखिल को 40 पव्वे देशी शराब हरियाणा मार्का मय 01 अदद चाकू के साथ CSHP स्कूल के पास सर्विस रोड के पास थाना क्षेत्र विजयनगर से गिरफ्तार किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त*

2- निखिल पुत्र धर्मेन्द्र, नि0 सुलेन्द्र तिलक बिल्डर की दुकान के पास, माता कालोनी, थाना विजयनगर, गाजियाबाद

पंजीकृत अभियोग का विवरण*

1- मु.अ.स. 1057/21 धारा 60/63 Ex. Act. थाना विजय नगर गाजियाबाद

2- मु.अ.स. 1058/21 धारा 4/25 A. Act. थाना विजय नगर गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण*

1. 40 पव्वे अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का

2. एक अदद चाकू



01 नफर अभियुक्त को चोरी की 04 अदद मोटर साईकिल मय फर्जी नम्बर प्लेट व 01 अदद स्कूटी मय 01 अदद 315

बोर तमचां मय 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर मय सहित गिरफ्तार

!! श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अमित पाठक महोदय के कुशल निर्देशन में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह के नेतृत्व में एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय महोदय के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान प्रभारी निरीक्षक खोडा के कुशल नेतृत्व में एनसीआर क्षेत्र में वाहन चोरी करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत 01 शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई जब थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा दिनांक

01.08.2021 समय 20.45 बजे में घटनास्थल टी पोईन्ट खोडा गाँव खोडा कालोनी चौकी से 01 नफर अभि0 को चोरी की 04 अदद मोटर साईकिल मय फर्जी नम्बर प्लेट व 01 अदद स्कूटी व 01 अदद तंमचा देशी 315 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया।

गिर0 अभियुक्त का नाम पता

विकास पुत्र करतार सिंह जाटव निवासी प्रवेश विहार शास्त्री नगर मेरठ हाल पता किराएदार भगत सिंह नागर का मकान खोडा गांव थाना खोडा गाजियाबाद

बरामदगी – अभियुक्त के कब्जे चोरी की 04 अदद मोटर साईकिल मय फर्जी नम्बर प्लेट व 01 अदद स्कूटी व 01 अदद तंमचा देशी 315 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित बरामद होना ।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

अभियुक्त विकास पुत्र करतार सिंह जाटव का आपराधिक इतिहास

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	610/2021	411,414, 482	खोडा	गाजियाबाद
2	611/2021	3/25 ए एक्ट	खोडा	गाजियाबाद
3	604/2021	379/411 भादवि	खोडा	गाजियाबाद



(एनसीआर क्षेत्र में लूटपाट करने वाले 02 शातिर लूटेरे गिरफ्तार,

लूटा गया एक मोबाईल फोन व अवैध अस्लाह बरामद)

कार्यवाही:- श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री अमित पाठक के निकट निर्देशन में व श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी इंदिरापुरम गाजियाबाद महोदय के कुशल नेतृत्व में थाना इंदिरापुरम पुलिस द्वारा लूटपाट करने वाले गिरोह के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में थाना इंदिरापुरम पुलिस की सक्रियता से उस समय सफलता प्राप्त हुई जब मुखबिर की सूचना पर चैकिंग के दौरान दिनांक 02.08.2021 को सेक्टर-1 से सेक्टर-3 वसुंधरा वाली सडक के पास से 02 शातिर लूटेरे को लूटे गये मोबाईल व एक चाकू सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तार किये गये अभियुक्तगणों के नाम पते निम्नवत है:-

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता:-

- 1:- मौसीन पुत्र मौ0 सलीम निवासी 365 संजय कालोनी अर्थला थाना साहिबाबाद गा0बाद ।
- 2:- गुलाब पुत्र मौ0 मिया निवासी संजय कालोनी अर्थला सलीम के मकान में किराये पर साहिबाबाद गा0बाद ।

अभियुक्त अपराध करने का तरीका:-

अभियुक्त शातिर किस्म के लूटेरे है उक्त गैंग मुख्य रूप से मोबाईल लूटपाट की वारदातो को मोटर साईकिल बदल-बदलकर अजाम देते है। अभियुक्तगण जनपद गाजियाबाद के रहने वाले है जिनको दिल्ली एनसीआर क्षेत्र की अच्छी जानकारी होने के कारण उक्त लोग गैंग बनाकर एनसीआर क्षेत्र में मोबाईल लूट की घटनाओ को अंजाम देते है। अभियुक्तगण के अपराधिक इतिहास व गैंग के अन्य सदस्यो के बारे में जानकारी की जा रही है।

अभियुक्तगण से बरामदगी का विवरण:-

- 01:- 01 वीवो मोबाईल फोन (अ0स0-1850/21 धारा 392/411 भादवि से सम्बन्धित)
- 02:- 01 चाकू

अभियुक्तगण का अपराधिक इतिहास:-

क्र0स0	मु0अ0स0	धारा	थाना/जनपद
01	1850/2021	392/411 भादवि	इंदिरापुरम/गा0बाद
02	1855/2021	25/4 आर्म्स एक्ट बनाम मौसिन	इंदिरापुरम/गा0बाद

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, जिसके कब्जे से कुल 210 ग्राम गाँजा नाजायद बरामद होना

दिनांक 02-08 -2021

कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद में अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय श्री अमित पाठक के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय श्री निपुण अग्रवाल के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम श्री महिपाल सिंह महोदय के कुशल नैतृत्व में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्री अमित कुमार की टीम दिनांक: 2/8/2021 को घटनास्थल- पक्का तालाब ट्रान्सफार्मर थाना कोतवाली नगर से दौराने चैकिंग 01 नफर अभियुक्त 1. बन्टी वन्टी उर्फ पच्छी पुत्र स्व0 रमेशचन्द को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से कुल 210 ग्राम गाँजा नाजायज बरामद हुआ, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद पर मु0अ0सं0- 754/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट बनाम बन्टी पंजीकृत है।

अपराध कारित करने का तरीका/पूछताछ का विवरण:-

पकडे गये अभियुक्त के द्वारा पूछताछ पर बताया कि मैं गाजे की छोटी-छोटी पैकिट में पैकिंग कर चलते फिरते लोगो व रेलवे स्टेशन के आस-पास पडे नशेडी व्यक्तियो बेचकर मुनाफा कमा लेता हूँ

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

बन्टी वन्टी उर्फ पच्छी पुत्र स्व0 रमेशचन्द निवासी म0 न0 64 प्राणगढी थाना सिहानी गेट जिला गाजियाबाद उम्र करीब 37 वर्ष।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्त

1. मु0अ0सं0- 754/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद ।
2. मु0अ0सं0 0346/2019 धार 135 भारतीय विद्युत अधि0 2005 थाना कविनगर गाजियाबाद ।
3. मु0अ0सं0 1210/2018 धारा 392 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद ।

बरामदगी का विवरण:-

1. कुल ग्राम गाँजा 210 नाजायज बरामद ।

गिरफ्तार एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्र०नि० श्री अमित कुमार थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद ।
2. उ०नि० मनीष सिंह थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।
3. हेड० का० 994 विनोद कुमारथाना कोतवाली नगर गाजियाबाद ।

